

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांक: 18.10.2012

अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(26)वित्त/कर/98-124 दिनांक 03.02.2007 को अधिकृत करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, आदेश देती है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90ए या तत्समय प्रचलित धारा 90ए के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर सुधार न्यास, तथा अन्य स्थानीय निकायों में निहित भूमि का इन निकायों द्वारा सुसंगत विधायक नियमों के अन्तर्गत आवंटन या नियमन उपरान्त जारी पट्टों का पंजीयन दिनांक 31.03.2013 तक कराने की स्थिति में, स्टाम्प ड्यूटी घटाकर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर निम्नानुसार देय होगी:-

1. यदि पट्टा विलेख स्वयं खातेदार के पक्ष में अथवा पूर्ण मुद्रांकित दस्तावेजों के आधार पर लीज ग्रहीता के पक्ष में निष्पादित किया जाता है तो स्टाम्प ड्यूटी 500/-रुपये देय होगी।
2. यदि पट्टा विलेख दिनांक 30.09.2012 तक निष्पादित, अमुद्रांकित या अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित दस्तावेजों के आधार पर लीज ग्रहीता के पक्ष में निष्पादित किया जाता है तो स्थानीय निकायों को देय राशि यथा नियमन शुल्क, रूपान्तरण शुल्क, विकास शुल्क, ब्याज पैनल्टी की राशि एवं दो वर्ष के औसत किराये की राशि को प्रतिफल मानते हुए कन्वेन्स पर स्टाम्प ड्यूटी की प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।
3. उपरोक्त निकायों के द्वारा नियमित/आवंटित भूखण्डों के संबंध में निष्पादित विलेख/लिखत पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 23 व 25 के अनुसार निर्धारित 8 (आठ) माह की अवधि में पंजीकृत नहीं करवाकर उपरोक्त निकायों से पुनर्विध एवं पुनः निष्पादित करवाकर दिनांक 31.03.2013 तक पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे विलेख/लिखत पर स्थानीय निकायों को देय राशि यथा नियमन शुल्क, रूपान्तरण शुल्क, विकास शुल्क, ब्याज, पैनल्टी की राशि को प्रतिफल मानते हुए कन्वेन्स पर स्टाम्प ड्यूटी की प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।

(सं.एफ.2(60)एफ.डी./टैक्स/12-72)

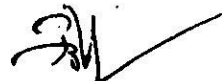
राज्यपाल के आदेश से,


(आदित्य पारीक)

शासन उप सचिव, वित्त (कर)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल भेजवाने की व्यवस्था करावे।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
5. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर।
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान, जोधपुर।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
13. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
14. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिनांक: 18.10.2012

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(36)वित्त/कर/2010-60 दिनांक 19.08.2010 को अधिकृत करते हुए, राज्य सरकार यह राय देने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एतद्वारा आदेश देती है कि राज्य सरकार, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर सुधार न्यास, कृषि उपज मण्डी एवं मण्डी समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको), राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ या राज्य सरकार के किसी अन्य निकाय/उपक्रम द्वारा आवंटित/विक्रय की गई स्थावर सम्पत्ति के संबंध में उनके द्वारा निष्पादित विलेख/लिखत पंजीयन के लिए निर्धारित समयावधि अर्थात् निष्पादन की दिनांक से 8 (आठ) माह की अवधि में पंजीकृत नहीं कराकर उपरोक्त निकायों/संस्थाओं/उपक्रमों से पुनर्वैध एवं पुनः निष्पादित करवाकर दिनांक 31.03.2013 तक पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं तो ऐसे विलेखों या लिखतों पर देय स्टाम्प ड्यूटी घटाकर सम्पत्ति के वाजिब मूल्य के स्थान पर निम्न प्रकार देय होगी :-

क्र.	विवरण	देय स्टाम्प ड्यूटी
1	2	3
1.	विलेख/लिखत जो पुनर्वैध एवं पुनः निष्पादन की दिनांक से दो माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि पर कन्वेन्स की दर से।
2.	विलेख/लिखत जो पुनर्वैध एवं पुनः निष्पादन की दिनांक से दो माह पश्चात एवं चार माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर उस पर कन्वेन्स की दर से।
3.	विलेख/लिखत जो पुनर्वैध एवं पुनः निष्पादन की दिनांक से चार माह पश्चात एवं आठ माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर उस पर कन्वेन्स की दर से।

(सं.एफ.2(60)एफ.डी./टैक्स/12-73)

राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य पारीक)

शासन उप सचिव, वित्त (कर)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावे।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
5. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर।
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान, जोधपुर।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्थान)।
13. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
14. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सेल) विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिनांक: 18.10.2012

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त प्रावधानों का प्रयोग करते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(36)वित्त/कर/2010-60 दिनांक 19.08.2010 के अधीन प्रकाशित करते हुए, राज्य सरकार यह राय देने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एतद्वारा, आदेश देती है कि राज्य सरकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर सुधार न्यास, कृषि उपज मण्डी एवं मण्डी समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको), राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ एवं राज्य सरकार के किसी अन्य निकाय/उपक्रम द्वारा आवंटित/विक्रय की गई स्थावर सम्पत्ति के संबंध में उनके द्वारा विपरीत समस्त विलेखों/लिखतों पर देय स्टाम्प इयूटी घटाकर दिनांक 31.03.2013 तक सम्पत्ति के बाजार मूल्य के अनुसार पर निम्न प्रकार देय होगी:-

विवरण	देय स्टाम्प इयूटी
2	3
1. विलेख/लिखत निष्पादन की दिनांक से 2 माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि की दो तिहाई राशि पर कन्वेन्स की दर से।
2. विलेख/लिखत निष्पादन की दिनांक से 2 माह पश्चात एवं 4 माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि की दो तिहाई राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर उस राशि पर कन्वेन्स की दर से।
3. विलेख/लिखत निष्पादन की दिनांक से 4 माह पश्चात एवं 8 माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि की दो तिहाई राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर उस राशि पर कन्वेन्स की दर से।

(सं.एफ.2(60)एफ.डी./टैक्स/12-74)

राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य पारीक)

शासन उप सचिव, वित्त (कर)

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावे।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
5. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर।
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान, जोधपुर।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्थान)।
13. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
14. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

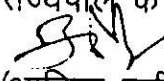
जयपुर, दिनांक: 18.10.2012

अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एतद्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम, 2012 के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन की अनुज्ञा हेतु नियम 4 के उप-नियम (1) या नियमितिकरण के लिए नियम 16 के उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ आवेदक द्वारा 'प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012' के दौरान प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्रों पर देय स्टाम्प झूटी में छूट प्रदान करती है।

(सं.एफ.2(70)वित्त / कर / 12-75)

राज्यपाल के आदेश से,


(आदित्य पारीक)

शासन उप सचिव, वित्त (कर)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियाँ इस विभाग को तथा 20 प्रतियाँ महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावे।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
5. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर।
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान, जोधपुर।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
13. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
14. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव